



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिंक रोड नं०-३, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC 030/2012-BHO/ 1852

दि०- 23-11-2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म०प्र०) ।

विषय: सिंगरौली जिले में 400 कैं०व्ही० डबल सर्किट एन०टी०पी०सी० विन्ध्याचल स्टेज-IV से विन्ध्याचल पुलिंग स्टेशन पारेषण लाईन के निर्माणार्थ 9.375 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि मुख्य महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत ।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीसी 030/2012-बीएचओ/1510 दिनांक 17/09/2012
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-4/11/31/2011/10-11/विद्युत/3894 दिनांक 9/11/12
3. Ad-hoc CAMPА, MoEF, New Delhi letter no. 1-20/2010-CAMPА dated 21/11/2012

महोदय,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्र क्रमांक एफ-4/11/31/2011/10-11/1914 दिनांक 04/06/2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 400 कैं०व्ही० डबल सर्किट एन०टी०पी०सी० विन्ध्याचल स्टेज-IV से विन्ध्याचल पुलिंग स्टेशन पारेषण लाईन के निर्माणार्थ 9.375 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि मुख्य महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:-

- वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 19.00 हे० अवकमित वनभूमि (कक्ष क्रमांक पी-77, ग्राम वन समिति-बूढाढोल, वन परिक्षेत्र-चितरंगी, जिला-सिंगरौली) क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
- अ. पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो ।
ब. वन क्षेत्रों के उपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।
स. वनभूमि पर पारेषण लाईन के अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 46 मीटर होगी ।
द. प्रत्येक चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3.0 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/टूट/छटाई की जायेगी ।

आचार्य लिपिक

KARTIK/APPRO/ORDER/TL

विद्युत
24/11/12

आचार्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष नं०-प्र०५५)
मध्यप्रदेश भोपाल

103

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

24/11/12

पत्रांक नं०

1449

दिनांक

26-11-12

- इ. एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख-रखाव किया जा सके ।
- फ. अधिकृत मार्ग के भीतर चालक और वृक्षों के बीच 5.5 मीटर की न्यूनतम सफाई रखते हुए विद्युत् खतरा के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छाटाई की जायेगी । न्यूनतम सफाई हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा ।
- ज. पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष काटे जायेंगे ।
4. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन के झुकाव (sagging) से उचित रख-रखाव किया जायेगा ।
5. वनक्षेत्र तथा साथ लगे वनक्षेत्रों से गुजरने वाली वितरण लाइनों (distribution lines) पर वन्यप्राणियों की उचित तथा पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी ।
6. अ) ट्रांसमिशन लाईन के ROW पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेष कर औषधीय पौधों का) वृक्षारोपण किया जायेगा । यदि आर0ओ0डब्ल्यू0 में 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किसी कारण से किया जाना संभव न हो तो आर0ओ0 डब्ल्यू0 से बाहर औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का प्रस्ताव बनाकर पूर्ण औचित्य सहित वन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ।
- ब) बौनी प्रजाति (औषधीय पौधों) वृक्षारोपण योजना का अनुमोदन नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
- स) Cost of plantation of dwarf tree species will be deposited in advance by User Agency.
7. उपयोगकर्ता अभिकरण को गैर वनभूमि सौंपे जाने की कार्यवाही उपरांत ही वनभूमि का व्यवर्तन किया जायेगा ।
8. निर्माण के दौरान वनक्षेत्रों से कोई निर्माण सामग्री अथवा मिट्टी प्राप्त नहीं की जायेगी न ही निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा (debris) वनक्षेत्रों में फेका जायेगा ।
9. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा कटाई के स्थान पर जहां तक संभव हो सके वृक्षों की शाखाओं को काटकर अधिक से अधिक वृक्षों को बचाने का प्रयास किया जायेगा ।
10. संलग्न वनक्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये कोई अतिरिक्त या नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा ।
11. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन की ऊँचाई का इस प्रकार रख-रखाव किया जायेगा कि कोई वन्यप्राणी विजली के तार से दुर्घटनावश सम्पर्क में न आ सके ।
12. चालक तथा वृक्षों के बीच में 5.5 मीटर की न्यूनतम दूरी रखने की अनुमति होगी । इस न्यूनतम दूरी की गणना करते समय चालक की sag और swing को ध्यान में रखा जायेगा । इस हेतु वृक्षों की छाटाई (Lopping) करने की आवश्यकता होगी । जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्यवर्तित वनक्षेत्र में राज्य वन विभाग की अनुमति से वृक्षों की कटाई अथवा शाखाओं की कटाई की जा सकेगी ।
13. वनक्षेत्र में श्रमिकों के कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे ।
14. उपयोगकर्ता अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों, ठेकेदारों द्वारा वनों तथा वन्यप्राणियों को कोई हानि नहीं की जाती ।
15. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा शर्तों के पालन के विषय में वार्षिक स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी, MOPRO तथा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जायेगा ।

.....3

16. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।
17. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
18. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनस्पतियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता आमंकरण द्वारा किया जायेगा ।
19. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 1.9 के अनुसार राज्य शासन के माध्यम से इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य शासन उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेवा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली वनमण्डल, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि0 विन्ध्य नगर, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

Pradeep Vasudeva
(प्रदीप वासुदेवा)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)